

# कार्यालय—निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/माध्य/लेखा डी-2/कालीबाई भील स्कूटी योजना/21-22

दिनांक 13.8.21

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक—मुख्यालय),

विषय :- वर्ष 2020-21 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में अभिवृद्धि बाबत।


प्रसंग :- आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान का पत्रांक क्रमांक एफ. 23(80)(2)/लेखा /आकाशि/प्रा.आनलाईन/20-21/363 दिनांक 13.08.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि वर्ष 2020 में कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्राओं (वित्तीय वर्ष 2020-21) से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) हेतु आवेदन करने की तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है।

क्रस	छात्रवृत्ति का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारंभ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) हेतु	2020-21 (कक्षा 12 वर्ष 2020 में उत्तीर्ण)	01.03.2021	31.08.2021

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना में व्यक्तिशः रुचि लेकर छात्राओं से दूरभाष पर संपर्क कर, स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रेस नोट जारी करावें। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं (माध्यमिक शिक्षा विभाग) हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि से पूर्व भरवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का छात्राओं को अधिकतम लाभ मिल सकें।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्र दिनांक 06.08.21 के द्वारा आपको उक्त योजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, साथ ही पत्र दिनांक 04.08.2021 के द्वारा योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं अतः पत्र में वर्णित दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए अधिक से अधिक आवेदन करवाये जावें।

  
मुख्यलेखाधिकारी (3/8/21)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/माध्य/लेखा डी-2/कालीबाई भील स्कूटी योजना/21-22

दिनांक 13.8.21

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही संपादित करने हेतु निर्देशित करें एवं प्रभावी प्रबोधन करें।

  
मुख्यलेखाधिकारी (3/8/21)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर